Vol 6 Issue 11 Dec 2016

ISSN No : 2230-7850

International Multidisciplinary Research Journal

Indian Streams Research Journal

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-Chief
H.N.Jagtap

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Dr. T. Manichander

Mr. Dikonda Govardhan Krushanahari
Professor and Researcher ,
Rayat shikshan sanstha's, Rajarshi Chhatrapati Shahu College, Kolhapur.

International Advisory Board

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

......More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.org

Indian Streams Research Journal

ISSN: 2230-7850 Impact Factor : 4.1625(UIF) Volume - 6 | Issue - 11 | December - 2016

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास और राजनीतिक सहभागिता की वर्तमान स्थितिः "अम्बेडकर ग्राम विकास योजना" का विशिष्टसन्दर्भ

डॉ. पुष्पेन्द्र कुमार मिश्र
अतिथि व्याख्याता , राजनीति विज्ञान विभाग ,
शासकीय कन्या महाविद्यालय, भिण्ड (म.प्र.)

सारांश

यह अध्ययन उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास और राजनीतिक सहभागिता की सैद्धान्तिक और वास्तविक स्थितियों पर प्रकाश डालता है। प्रस्तुत शोधपत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों पर आधारित है। शोधपत्र तीन भागों में विभाजित है। इसके प्रथम भाग के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास और राजनीतिक सहभागिता के सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत किया गया है। शोधपत्र के द्वितीय भाग में ग्रामीण विकास एवं राजनीतिक सहभागिता की रणनीति के रूप में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना का सामान्य परिचय प्रस्तुत किया गया है जबकि तृतीय भाग में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण देते हुए इसके मूल्यांकन को प्रस्तुत किया गया है।

संकेतकःप्रस्तावना, ग्रामीण विकास एवं राजनीतिक सहभागिता का विकास क्रम, अभिरूचि, सजगता एवं योजना पर प्रतिक्रिया, निष्कर्ष एवं सुझाव।

परिचय

भारत गांवों का देश है जहाँ देश की कुल आबादी का लगभग 69 प्रतिशत भाग (83.30 करोड़) गांवों में निवास करता है। इसी क्रम में, उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या 19,95,81,477 है जिसमें 15,51,11,022 व्यक्ति (77.72 प्रतिशत भाग) गांवों में निवास करते हैं।आजादी के छः दशकों के

बाद भी ग्रामीण भारत के पास रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, बिजली, स्वच्छता और शुद्ध पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। इसके मूल में, यदि देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में अनेक ऐसी समस्याएं विद्यमान हैं जो न केवल ग्रामीण विकास वरन् सम्पूर्ण देश के विकास में बाधक सिद्ध हो रही हैं। स्पष्टतः गांव भारत की हृदयस्थली हैं और गांवों का समग्र विकास किए बिना हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में सफल नहीं हो सकते हैं।

वैश्वीकरण, आर्थिक उदारीकरण और संरचनात्मक परिवर्तन के वर्तमान युग में बड़े नगर विकास और संवृद्धि के मुख्य केन्द्र बनकर उभरे हैं। नवोन्मुखी रोजगार और सुविधाएं इन्ही बड़े नगरों तक सिमट कर रह गई हैं। परिणामस्वरूप 'ग्रामीण भारत' एवं 'शहरी भारत' के बीच विषमताएँ बढ़ी हैं। आधुनिक विश्व में देश की आर्थिक बेहतरी की नींव को सुदृढ़ करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास अपरिहार्य हो गया है। आज जब नए क्षेत्रों में परिवर्तन की गति गांवों की तुलना में अधिक है तो ऐसे में ग्रामीण विकास हेतु एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

ग्रामीण समाज को इन विभिन्न समस्याओं से निजात दिलाने, 'ग्रामीण भारत' और 'शहरी भारत' के बीच विद्यमानअन्तर को समाप्त करने तथा उन्हे विकास के एक समान स्तर पर लाने के उद्देश्य से स्वतन्त्रता के बाद से ही भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने समय–समय पर ग्रामीण विकास को समर्पित अनेक नीतियों / योजनाओं को क्रियान्वित किया है। इन योजनाओं के फलस्वरूप निःसन्देह हमारे गांवों तथा ग्रामीणों की दशा में सुधार हुआ है परन्तु एक वास्तविकता यह भी है कि जिस अनुपात में विकास के लक्ष्य निर्धारित किए गए और इस हेतु धनराशि व्यय की गई, उस अनुपात में ग्राम और ग्रामीणों की दशा में सुधार नही हुआ है।

इसी पृष्ठभूमि में "उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास और राजनीतिक सहभागिता का बदलता स्वरूपः जनपद बिजनौर में क्रियान्वित 'अम्बेडकर ग्राम विकास योजना' के विशिष्ट सन्दर्भ मेंएक अध्ययन्" विषय पर यह शोध कार्य सम्पन्न किया गया है। प्रस्तुत शोधकार्य को छह भागों में विभाजित किया गया है जिसमें उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास, राजनीतिक सहभागिता और अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्सम्बन्धों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

प्रस्तावनाः सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, शोध प्रविधि

'विकास' एक व्यापक अवधारणा है। विकासशील देशों के सन्दर्भ में यह अवधारणा एवं विकास की प्रक्रिया और भी जटिल हो जाती है। वस्तुतः विकास का वास्तविक अर्थ 'परिवर्तन' और 'संवृद्धि' के योग से है। परिवर्तन में 'सामाजिक एवं सांस्कृतिक' परिवर्तन सम्मिलित हैं जबकि संवृद्धि की प्रक्रिया में सामान्यतः 'जीवन स्तर में सुधार एवं आर्थिक प्रगति' को सम्मिलित किया जाता है। सामान्यतः भारतीय सन्दर्भ में, विकास की प्रक्रिया के अन्तर्गत नीति निर्माताओं ने अब तक परिवर्तन की तुलना में संवृद्धि तत्व पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया है जबकि किसी भी देश एवं क्षेत्र में संवृद्धि लाने की तुलना में परिवर्तन लाना अधिक कठिन कार्य है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के सन्दर्भ में यही प्रमुख समस्याजनक कारण है। इन क्षेत्रों में विकास के एक घटक के रूप में 'संवृद्धि' लाने के प्रयास तो किए गये परन्तु 'सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन' के प्रति अधिक तत्परता नहीं दिखाई गयी फलतः ग्रामीण क्षेत्रों का सन्तुलित एवं समावेशी विकास नहीं हो सका है।

ग्रामीण विकास की समस्या से जुड़ा एक अन्य पहलू यह भी है कि किसी भी देश की विकास योजना कितनी ही उत्कृष्ट क्यों न हो; वहां के नीति–निर्माता कितने

ही कुशल क्यों न हों; बिना स्थानीय जनता की भागीदारी के उस योजना का पूर्ण लाभ मिलना सम्भव नहीं है। स्थानीय जन–सहभागिता द्वारा न सिर्फ विकास योजनाओं की गत्यात्मकता में वृद्धि होती है वरन् उस विकास योजना के तृणमूल स्तर पर पड़े प्रभावों–कुप्रभावों का निरीक्षण भी सरलता से सम्भव हो सकता है। दूसरे, ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में विपुल जनशक्ति का विभिन्न विकास कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग होता है जिससे जनता स्वयं अपने भविष्य के निर्माण में सहभागी बनती है। अपने अन्तिम रूप में, इस प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लोगों को शामिल करके परम्परागत ग्रामीण संस्कृति को तकनीकी एवं विज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा आधुनिक बनाया जाता है जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता का सुधार किया जाना है।

'ग्रामीण विकास' की समस्या भारतीय योजना निर्धारकों के लिए प्रारम्भ से ही चिन्ता का एक प्रमुख विषय थी। यद्यपि औपनिवेशिक शासन काल के दौरान ही औपनिवेशिक सरकार ने ग्रामीण विकास की दिशा में कुछ प्रयास किए तथापि वास्तव में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम सामुदायिक विकास योजना (1952) के द्वारा ही पहली बार ग्रामीण समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विफलता के पश्चात बलवन्त राय मेहता, अशोक मेहता, जी.वी.के. राव, एल.एम. सिंघवी तथा पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में गठित अनेक समितियों ने अपने प्रतिवेदनों में ग्रामीण विकास तथा राजनीतिक सहभागिता की वृद्धि, विकास, प्रोत्साहन एवं संरक्षण के सम्बन्ध में अनेक सिफारिशें प्रस्तुत कीं। इसी क्रम में, लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण एवं ग्रामीण विकास की प्रतिपूर्ति हेतु पंचायत राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से संसद में 73वां संविधान (संशोधन)विधेयक, 1992 पारित किया गया।इससे पंचायत राज संस्थाओं को न सिर्फ संवैधानिक प्रस्थिति प्राप्त हुई वरन् संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के रूप में ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्थानीय महत्व के 29 विषयों पर प्रशासनिक अधिकार भी प्राप्त हुए।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1991 में प्रारम्भ की गई 'अम्बेडकर ग्राम विकास योजना' ग्रामीण विकास तथा राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि के उद्देश्य से प्रेरित, एक संगठित–सरकारी तथा व्यवहारिक नियोजना है। इस योजना का मूल उद्देश्य, योजनान्तर्गत अंगीभूत किए गए गांवों में पर्याप्त सामाजार्थिक संसाधन उपलब्ध कराकर गांव का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना तथा विशेष रूप से गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को लाभान्वित करना है। अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, सामाजिक संरचना, राजनीतिक सहभागिता तथा ग्रामीण जीवन के विविध पक्षों यथा – सामाजिक, राजनीतिक, आार्थिक एवं शैक्षिक –में हो रहे परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के सन्दर्भ में किए गए अध्ययन् के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं–

1.उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास और राजनीतिक सहभागिता के वर्तमान स्वरूप का पता लगाना।

2.अम्बेडकर ग्राम विकास योजना की उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास और राजनीतिक सहभागितामें वृद्धि करने में भूमिका को जानना।

3.अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के फलस्वरूप गांवों के बुनियादी अवसंरचनात्मक ढांचे तथा ग्रामीण जीवन के विभिन्न पक्षों– राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक –में आए परिवर्तनों की समीक्षा करना।

4.अम्बेडकर ग्राम विकास योजना से ग्रामों के बदलते स्वरूप को प्राप्त सकारात्मक गत्यात्मकता की स्थिति का आकलन करना।

5.अम्बेडकर ग्राम विकास योजना की ग्रामोत्थान एवं राजनीतिक सहभागिता के अभीष्ठ को प्राप्त करने की स्थिति का आकलन तथा आवश्यक सुझाव प्रेषित करना। उपर्युक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह अध्ययन् उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास तथा राजनीतिक सहभागिता के बदलते स्वरूप पर केन्द्रित किया गया है। इस अध्ययन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास तथा राजनीतिक सहभागिता हेतु किये गये प्रयासों, इन प्रयासों के फलस्वरूप गांव की आधारभूत संरचना में हुए परिवर्तनों तथा लाभार्थियों के जीवन–स्तर में आए बदलावों आदि की समीक्षा की गयी है।

सारणीः01
सामाजिक–आर्थिक स्थिति

क्र.सं.	संकेतक				
लिंग		जलीलपुर(%)	कोतवाली(%)	नूरपुर (%)	योग(%)
1.	पुरुष	19 (47.5)	27 (67.5)	24 (60.0)	70 (58.3)
2.	महिला	21 (52.5)	13 (32.5)	16 (40.0)	50 (41.7)
जाति		जलीलपुर(%)	कोतवाली(%)	नूरपुर (%)	योग(%)
1.	अनुसूचित जाति	37 (92.5)	36 (90.0)	37 (92.5)	110 (91.7)
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	3 (07.5)	04 (10.0)	03 (07.5)	10 (08.3)
धर्म		जलीलपुर(%)	कोतवाली(%)	नूरपुर (%)	योग(%)
1.	हिन्दू	39 (97.5)	40 (100)	39 (97.5)	118 (98.3)
2.	मुस्लिम	01 (02.5)	00	01 (02.5)	02 (01.7)
परिवार का स्वरुप		जलीलपुर(%)	कोतवाली(%)	नूरपुर (%)	योग(%)
1.	एकाकी	36 (90.0)	37 (92.5)	37 (92.5)	110 (91.7)
2.	संयुक्त	04 (10.0)	03 (07.5)	03 (07.5)	10 (08.3)
मकान का प्रकार		जलीलपुर(%)	कोतवाली(%)	नूरपुर (%)	योग(%)
1.	पक्का	24 (60.0)	27 (67.5)	20 (50.0)	71 (59.2)
2.	अर्धपक्का	12 (30.0)	11 (27.5)	17 (42.5)	40 (33.3)
3.	कच्चा	03 (07.5)	02 (05.0)	03 (07.5)	08 (06.7)
4.	झोपड़ी	01 (02.5)	00	00	01 (0.8)

परिवार का मुख्य व्यवसाय		जलीलपुर(%)	कोतवाली(%)	नूरपुर (%)	योग(%)
1.	कृषि	00	06 (15.0)	06 (15.0)	12 (10.0)
2.	कृषि मजदूरी	21 (52.5)	11 (27.5)	09 (22.5)	41 (34.2)
3.	गैर कृशि मजदूरी	17 (42.5)	23 (57.5)	25 (62.5)	65 (54.2)
4.	स्वतन्त्र व्यवसाय	02 (05.0)	00	00	02 (01.7)
परिवार की मासिक आय		जलीलपुर(%)	कोतवाली(%)	नूरपुर (%)	योग(%)
1.	1500 से कम	05 (12.5)	03 (07.5)	02 (05.0)	10 (08.3)
2.	1501–2500	15 (37.5)	22 (55.0)	26 (65.0)	63 (52.5)
3.	2501–5000	18 (45.0)	11 (27.5)	08 (20.0)	37 (30.8)
4.	5000 से अधिक	02 (05.0)	04 (10.0)	04 (10.0)	10 (08.3)

प्रस्तुत अध्ययन हेतु अध्ययन समग्र के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर जनपद का चयन किया गया है। चूंकि जनपद की आधे से अधिक जनसंख्या ग्रामीण है अतः ग्रामों के समग्र विकास की महती आवश्यकता है। अम्बेडकर ग्राम विकास योजनाके निकटवर्ती एवं दूरवर्ती प्रभावों को जानने–समझने के लिए सोद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति का प्रयोग करते हुए तीन विकासखण्डों – जलीलपुर, नूरपुर तथा कोतवाली को निदर्शन में सम्मिलित किया गया है। अवलोकन की इकाई तथा निदर्शन आकार के चयन के लिए निदर्शन प्रक्रिया के रूप में चयनित तीनों विकासखण्डों के सत्रक्रमानुसार अंगीभूत किए गए अम्बेडकर ग्रामों में से यादृच्छिक आधार पर आठ–आठ गांवों का चयन किया गया। इस प्रकार, तीनों विकासखण्डों से कुल 24 अम्बेडकर ग्रामों का चयन अध्ययन हेतु किया गया। अध्ययन इकाई के रूप में चयनित सभी 24 अम्बेडकर ग्रामों में से प्रत्येक ग्राम से 10 उत्तरदाताओं को चुना गया जिनमें पाँच–पाँच उत्तरदाता अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित विभिन्न लाभार्थीपरक कार्यक्रमों के लाभार्थी हैं जबकि शेष पाँच–पाँच उत्तरदाता पंचायत प्रतिनिधि एवं साधारण ग्रामवासी हैं। इस प्रकार चयनित 24 गांवों से कुल 240 उत्तरदाता प्रतिचयन का आकार हैं। इसे सारणी सं0 01 में दर्शाया गया है। उत्तरदाताओं से सूचनाओं के संग्रहण हेतु तीन प्रकार की साक्षात्कार अनुसूचियों को प्रयोग किया गया है। साथ ही द्वितीयक तथ्यों का संग्रहण पुस्तकालयों के माध्यम से किया गया है।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं राजनीतिक सहभागिता का विकास क्रम

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं राजनीतिक सहभागिता के विकास क्रम का वास्तविक प्रारम्भ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में पारित संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 से हुआ। यद्यपि इसके पूर्व औपनिवेशिक शासन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश (तत्कालीन आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रान्त) के लिए वर्ष 1883 में नार्थ–वेस्टर्न प्रॉविन्सेज एक्ट, 1883 (रिपन प्रस्तावों के फलस्वरूप) वर्ष 1920 में यूनाइटेड प्रोविंस विलेज पंचायत एक्ट, 1920 (मान्टेस्क्यू–चेम्सफोर्ड सुधारों के अन्तर्गत) तथा 1938 में प्रान्तीय ग्राम विकास विभाग की स्थापना जैसे अनेक प्रयास किए गये किन्तु सामान्यतः इन सभी प्रयासों का प्रमुख उद्देश्य प्रान्त में ग्रामीण विकास एवं राजनीतिक सहभागिता को प्रोत्साहन देना न होकर, स्थानीय स्तर पर करों को अधिक सरलता से लगाना/वसूल करना था। अपने अन्तर्निहित औपनिवेशिक चरित्र तथा ब्रिटिश अफ़सरशाही की अनिच्छा के कारण ये अधिनियम अपने उद्देश्यों में सफल न हो सके।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास और राजनीतिक सहभागिता की उत्तम व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से 'संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947' दिनांक 7 दिसम्बर, 1947 को गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षरित हुआ। इस अधिनियम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की तत्कालीन पाँच करोड़ चालीस लाख ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली 35,000 ग्राम पंचायतों की स्थापना की गयी जिन्होने 15 अगस्त 1949 से कार्य करना आरम्भ कर दिया। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में लगभग 8000 पंचायत अदालतों की स्थापना भी की गयी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश, स्वतन्त्रता के बाद ग्राम पंचायतों की स्थापना करने वाला, भारत का प्रथम राज्य बना।

सन् 1952 प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं राजनीतिक सहभागिता के उत्थान की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इसी वर्ष में एक ओर 2 अक्टूबर को प्रदेश के इटावा जनपद से ग्रामीण विकास को समर्पित 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' की शुरूआत की गयी तो दूसरी ओर नियोजन और तीव्र सामाजिक–आर्थिक विकास के लक्ष्य से अनुप्रेरित पहली पंचवर्षीय योजना को प्रारम्भ किया गया। योजना की सफलता के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत मंत्री, विकास समितियों के मंत्री नियुक्त किये गये जिला नियोजन समिति में भी प्रत्येक तहसील से एक प्रधान मनोनीत किया गया। 1952–53 में जमींदारी विनाश के पश्चात ग्राम समाज की स्थापना हुई और पंचायतों के अधिकारों में अभिवृद्धि की गयी।

1955 में पंचायतों के दूसरे निर्वाचन के समय ग्राम सभा एवं ग्राम समाज के क्षेत्राधिकार को एकीकृत करते हुए 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का गठन किया गया। फलस्वरूप ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर 72,425 हो गयी। वर्ष 1959–60 में पंचायतों ने खाद्यान्न की उपज बढ़ाने के लिए क्रियान्वित किये गये रबी और खरीफ आन्दोलनों में विशेष उत्साह का प्रदर्शन किया। वर्ष 1960 में प्रदेश में ग्राम पंचायतों की चुनाव पद्धति में आंशिक परिवर्तन करते हुए ग्राम प्रधान के निर्वाचन को गुप्त रूप से कराने का निश्चय किया गया।

वर्ष 1961 में पंचायतों का तृतीय सामान्य निर्वाचन सम्पन्न हुआ। इसी वर्ष बलवन्त राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार के निर्देशानुसार, लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्तों के अनुरूप 'उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961' पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसरण में, प्रदेश में ग्राम सभा, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् की इकाइयों को एक–सूत्र में बाँधा गया और प्रदेश में त्रि–स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था प्रारम्भ हुई। अधिनियम के फलस्वरूप पंचायतों और विकासखण्ड समितियों को विकास कार्य करने और अपने स्तर पर प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का निवर्हन करने के अधिकार प्राप्त हो गये।

वर्ष 1988 में ग्राम पंचायतों के छठे निर्वाचन से पूर्व पंचायत राज विधान में पुनः संशोधन कर व्यवस्था की गयी कि ग्राम पंचायत के सदस्य पदों पर 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व महिलाओं को प्राप्त होना चाहिए तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायेगा। फलस्वरूप इस निर्वाचन के उपरान्त गठित ग्राम पंचायतों में महिला प्रधानों की संख्या 930 तथा महिला पंचायत सदस्यों की संख्या

1,50,577 हो गयी। वर्ष 1990–91 में ग्रामों के बुनियादी अवसंरचनात्मक विकास एवं व्यष्टि के रूप में लाभार्थियों के जीवन में सामाजार्थिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से 'अम्बेडकर ग्राम विकास योजना' का प्रारम्भ किया गया जिसके क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत को प्रमुख शक्तियां सौंपी गयीं।

वर्ष 1994 में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, 73वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा, उत्तर प्रदेश (पूर्व में संयुक्त प्रान्त) पंचायत राज अधिनियम, 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 में संशोधन किये गये। संशोधित अधिनियम को 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त किया गया।उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 द्वारा प्रदेश में पंचायतों की त्रि–स्तरीय प्रणाली की स्थापना की गयी। पंचायत के सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किये गये। इसी प्रकार, आरक्षित पदों सहित सभी पदों के लिए एक–तिहाई पद महिलाओं के लिए सुरक्षित किए गये। पंचायतों के पूर्व निर्धारित प्रकार्यों को इस संशोधन विधि द्वारा परिवर्तित करते हुए,इसके अधिकारों का विस्तार संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल विषयों तक कर दिया गया। इसके अतिरिक्त एक राज्य वित्त आयोग गठित कर 'वित्तीय सत्तान्तरण' की प्रक्रिया को भी सुनिश्चित किया गया। संक्षेप में, इस संशोधन विधि द्वारा उत्तर प्रदेश में पंचायतों को प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के तृतीय स्तर के रूप में,उनके संवैधानिक प्राधिकारों एवं निर्धारित कर्तव्यों के समुचित निष्पादन योग्य बनाया गया।

अम्बेडकर ग्राम विकास योजना से ग्रामीण विकास एवं सहभागिता का स्वरूप

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा,ग्रामीण विकास तथा राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि के उद्देश्य से, अम्बेडकर ग्राम विकास योजना को 2 जनवरी 1991 से 'विशेष घटक कार्यक्रम' (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान) के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया था। इस योजना का मूल उद्देश्य, योजनान्तर्गत अंगीभूत किए गए गांवों में पर्याप्त सामाजार्थिक संसाधन उपलब्ध कराकर गांव का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना तथा विशेष रूप से गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को लाभान्वित करना है। प्रारम्भ में इस योजनान्तर्गत प्रत्येक जनपद से ऐसे पाँच–पाँच ग्रामों का चयन किया गया जिनकी जनसंख्या में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों का प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत से अधिक था। वर्ष 1998–99 में अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के प्रतिबन्ध को समाप्त करते हुए सर्वसमाज की अधिकतम जनसंख्या के मानक को स्वीकार किया गया। प्रारम्भ में इस योजनान्तर्गत कुल 32 कार्यक्रम चिन्हांकित किए गएतथापि 11 कार्यक्रमों को विशेष रूप से महत्व दिया गया। इन कार्यक्रमों में निम्न घटक सम्मिलित हैं–ग्राम सम्पर्क मार्ग निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम, नाली/खड़न्जा निर्माण,प्राथमिक विद्यालय स्थापना, स्वच्छ पेयजल कार्यक्रम,इन्दिरा आवास योजना,ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम,स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना,विधवा पेन्शन,वृद्धावस्था पेन्शन एवंनिःशुल्क बोरिंग।

लाभार्थियों की अभिरूचि, सजगता एवं योजना पर प्रतिक्रियाः विश्लेषण एवं व्याख्या

लाभार्थियों की अभिरूचि, सजगता और योजना पर प्रतिक्रिया के विश्लेषण के क्रम में, लाभार्थियों कीसामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक लाभार्थी पुरूष हैं जबकि जातिगत आधार पर सर्वाधिक प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति के सदस्यों का है। बहुसंख्यक लाभार्थी एकाकी परिवार एवं हिन्दू धर्म से जुड़े हैं। अधिकांश का पक्का मकान है। बहुसंख्यक लाभार्थी गैर–कृषि मजदूरी में संलग्न हैं तथा 1501 से 2500 रूपये प्रतिमाह की आय उपार्जित करते हैं।

लाभार्थियों की जागरूकता एवं सहभागिता से जुड़े तथ्यों से परिलक्षित होता है कि बहुसंख्यक लाभार्थियों को ग्रामसभा के बारे में सामान्य जानकारी है यद्यपि ग्रामसभा की बैठकों के बारे में संज्ञानता का स्तर निम्न है। अधिकांश, सूचना के अभाव के कारण ग्रामसभा की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। बहुलांश लाभार्थी ग्रामसभा में निर्णय के तरीके, ग्रामसभा में किये गये कार्यों के सम्बन्ध में दी जाने वाली जानकारी और ग्रामसभा की सिफारिशों पर ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में अनभिज्ञ हैं।

चित्र संख्याः 01
अम्बेडकर ग्राम में सामूहिक परिचर्चा का एक दृष्य

लाभार्थियों की अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के विषय में जानकारी सम्बन्धी तथ्यों से स्पष्ट है कि अधिकांश लाभार्थियों को योजना सम्बन्धी सामान्य जानकारी है। बहुसंख्यक लाभार्थियों की जानकारी का स्रोत ग्राम प्रधान है जबकि जानकारी न रखने वाले अधिकांश लाभार्थी समान रूप से अपनी अज्ञानता एवं पंचायत प्रतिनिधियों तथा सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत को इस हेतु दोषी कारक मानते हैं। अनेक सरकारी प्रावधानों के बावजूद कार्यक्रम अनुशंसा तथा लाभार्थी पहचान/चयन में ग्रामसभा अपने दायित्वों से पूर्णतः अनभिज्ञ है। दूसरे शब्दों में, विकासपरक कार्यक्रमों के सन्दर्भ में ग्रामसभा की सहभागिता दर अत्यन्त निम्न है फलस्वरूप ग्रामसभा अब भी एक प्रभावी संस्था नहीं बन पायी है। इसी क्रम में, अधिकांश लाभार्थियों में राजनीतिक सहभागिता के अनिवार्य घटक; मतदान को लेकर पर्याप्त जागरूकता है तथापि सक्रिय राजनीति के सन्दर्भ में उनकी संज्ञानता एवं सहभागिता का स्तर उल्लेखनीय रूप से निम्न है। अम्बेडकर ग्राम विकास योजना से लाभान्वित होने के पूर्व बहुसंख्यक लाभार्थी व्यक्ति विशेष के आधार पर मतदान करते थे जबकि योजना से लाभान्वित होने के बाद इस प्रवृत्ति में तीव्र बदलाव हुआ तथा बहुसंख्यक लाभार्थियों के लिए मतदान का आधार राजनीतिक दल बन गया है। संक्षेप में, अब लाभार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का विकास क्रमशः हो रहा है। वे न सिर्फ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं वरन् मतदान व्यवहार से जुड़ी विकृतियों में स्पष्टतः कमी देखी जा सकती है।

अम्बेडकर ग्रामों में बुनियादी अवसंरचना निर्माण हेतु क्रियान्वित सामुदायिक कार्यक्रमों की स्थिति और इसके लाभों सम्बन्धी तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम सम्पर्क मार्ग ने लाभार्थियों के जीवन में गुणात्मक प्रभाव डाला है। सम्पर्क मार्ग लाभार्थियों के लिए आवागमन का साधन होने के साथ ही रोजगार में भी सहायक बना है। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की दशा यद्यपि उतनी अच्छी नहीं है तथा बहुसंख्यक लाभार्थियों ने अभी बिजली का कनेक्शन नहीं करवाया है तथापि जो लाभार्थी विद्युतीकरण कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं; इसने उनके दैनिक कार्यों में सहायता दी है। नाली/खड़न्जा निर्माण द्वारा अम्बेडकर ग्रामों की स्वच्छता में वृद्धि हुई है फलस्वरूप गंदगी के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियों से बचाव करने में ग्रामवासियों को सहायता मिली है। अधिकांश लाभार्थियों की संतानें विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। अम्बेडकर ग्राम विकास योजना में ग्राम चयन के पश्चात अब बहुसंख्यक लाभार्थियों को स्वच्छ पेयजल सरलता से प्राप्त हो रहा है। बहुसंख्यक लाभार्थी इण्डिया मार्का–्हैण्डपम्प को जल के परम्परागत स्रोतों की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक मानते हैं।

अम्बेडकर ग्रामों में लाभार्थीपरक कार्यक्रमों की स्थिति और उसके लाभ के सन्दर्भ में; इन्दिरा आवास कार्यक्रम के तथ्यों से परिलक्षित होता है कि बहुसंख्यक लाभार्थी इन्दिरा आवास योजना का लाभ ले रहे हैं। अधिकांश लाभार्थी मानते हैं कि योजनान्तर्गत प्राप्त आवास पूर्ववर्ती आवास की तुलना में सुविधाजनक है और इससे उनकी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। अधिसंख्य लाभार्थियों को शौचालय निर्माण कार्यक्रम का लाभ मिला है तथा शौचालय निर्माण से लाभान्वित परिवारों में महिलाओं की शौच जाने की प्रवृत्ति में व्यापक परिवर्तन हुआ है।बहुसंख्यक लाभार्थियों को पेन्शन की पूरी राशि उनके खाते में प्राप्त हो रही है तथापि यह राशि उनके व्यय के लिए पर्याप्त नहीं है। अधिकांश लाभार्थी मानते हैं कि प्राप्त बोरिंग, उनकी सिंचाई की आवश्यकता के अनुरूप है और इसका सिंचाई हेतु प्रयोग किया जा रहा है।

अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के समग्र लाभों के मूल्यांकन के तथ्यों से स्पष्ट है कि योजनान्तर्गत उपलब्ध आर्थिक परिलब्धियों की रोजगार हेतु पर्याप्तता की स्थिति के सन्दर्भ में अधिकांश लाभार्थी अनभिज्ञ हैं। बहुलांश मानते हैं कि अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के लाभों का वितरण सम्पूर्ण ग्राम में नहीं हुआ है वरन् प्रधान समर्थक एवं सत्ता पक्ष से जुड़े लोग इससे अधिक लाभान्वित हुए हैं। बहुसंख्यक लाभार्थी अम्बेडकर ग्राम विकास योजना से वित्तीय लाभ की आाशा रखते हैं और स्वास्थ्य सुविधा में सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम को अम्बेडकर ग्राम विकास योजना में सम्मिलित किये जाने की अपेक्षा रखते हैं।

अम्बेडकर ग्राम विकासयोजनाके ग्रामीण जीवन के समुन्नयन में योगदान एवं प्रभाव से जुड़े तथ्यों से स्पष्ट है कि बहुसंख्यक लाभार्थी योजना के लाभों से सन्तुष्ट हैं। अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के परिणामस्वरूप अधिकांश लाभार्थियों के सामाजिक जीवन में जहां एक ओर सकारात्मक परिवर्तन हुआ है वहीं दूसरी ओर सामाजिक समारोहों में उनकी उपस्थिति में वृद्धि सहित उनके जीवन, रहन–सहन, आवासीय सुविधा तथा खान–पान की प्रवृत्तियों में भी सकारात्मक बदलाव हुआ है। बहुसंख्यक लाभार्थियों के अनुसार अम्बेडकर ग्राम विकास योजनासे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंच हेतु शहर आवागमन के अवसरों में वृद्धि हुई है।

अम्बेडकर ग्राम विकास योजनाके लाभार्थियों के आर्थिक जीवन पर पड़े प्रभावों से सम्बन्धित तथ्यों से स्पष्ट है कि यद्यपि अम्बेडकर ग्राम विकास योजनाके फलस्वरूप रोजगार हेतु शहर जाने के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि हुई है तथापि रोजगार अवसरों के ग्राम में ही सृजन की दिशा में यह योजना अधिक सफल नहीं हो सकी है।योजनाके फलस्वरूप लाभार्थियों की क्रयशक्ति में वृद्धि हुई है तथा आय की अन्य प्रवृत्तियों में पूर्वापेक्षा सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। इसके अतिरिक्त, योजना के फलस्वरूप यद्यपि अधिकांश लाभार्थियों के परम्परागत व्यवसाय में परिवर्तन हुआ है तथापि अन्य व्यवसायिक; विशेषतः कृषिगत परिदृश्य में परिवर्तन की गति उतनी तीव्र नहीं है अतः इस दिशा में अभी और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

अम्बेडकर ग्राम विकास योजना का लाभ प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों से जुड़े तथ्य स्पष्ट करते हैं कि 'अशिक्षा' विकासपरक योजनाओं के लाभों के सन्दर्भ में एक बड़ा बाधक तत्व बना हुआ है। 'रोजगार की समस्या'अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ा मुद्दा है और अधिसंख्य लाभार्थी अम्बेडकर ग्राम विकास योजना में इससे जुड़ी योजनाओं को सम्मिलित कराने की अपेक्षा रखते हैं।

जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों की अभिरूचि, सजगता एवं योजना पर प्रतिक्रियाः विश्लेषण एवं व्याख्या

जनप्रतिनिधियों की अभिरूचि, सजगता एवं योजना पर प्रतिक्रिया के अन्तर्गत, पंचायत व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों के पद एवं ग्राम सभा सम्बन्धी उनकी जागरूकता तथा सहभागिता से जुड़े तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत सदस्य के पद पर कार्यरत हैं। सभी जनप्रतिनिधियों को ग्राम सभा की सामान्य जानकारी है तथा ग्राम सभा को लेकर उनकी जागरूकता का स्तर 'उच्च' है। बहुसंख्यक जनप्रतिनिधियों को यद्यपि ग्राम सभा की बैठकों सम्बन्धी जानकारी है तथापि ग्राम सभा की खुली बैठक का न होना अब भी कहीं–कहीं बैठक सम्बन्धी जानकारी के अभाव का प्रमुख कारण बना हुआ है। अधिकांश जनप्रतिनिधियों को ग्राम सभा की अध्यक्षता के विषय में सही जानकारी है। बहुसंख्यक जनप्रतिनिधि ग्राम सभा की बैठक में यद्यपि भाग लेते हैं तथापि अनेक अम्बेडकर ग्रामों में सूचना का अभाव, इस सम्बन्ध में व्यापक सहभागिता में कमी का एक प्रमुख कारण है।

अम्बेडकर ग्रामों में; ग्राम पंचायत व्यवस्था तथा सहभागिता सम्बन्धी तथ्यों से परिलक्षित होता है कि अधिकांश जनप्रतिनिधियों के अभिमतानुसार ग्राम पंचायत की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जाती है। बहुसंख्यक जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत की बैठक में यद्यपि नियमित सहभागिता करते हैं तथापि सूचना का अभाव यहां भी व्यापक सहभागिता की कमी का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। सभी जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत की बैठक में, ग्राम की समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं; निर्माणाधीन कार्यों पर चर्चा/प्रस्ताव रखते हैं; नयी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं एवं अन्य लोगों की समस्याओं को बैठक में रखते हैं। अधिसंख्य अम्बेडकर ग्रामों में, ग्राम पंचायत स्तर पर निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में पंचायत सदस्यों की भागीदारी बढ़ रही है जो कि राजनीतिक सहभागिता तथा विकेन्द्रीकरण के उद्देश्यों के अनुरूप है।

अम्बेडकर ग्राम विकास योजनान्तर्गत, पंचायत संस्थाओं की भूमिका से जुड़े तथ्यों से स्पष्ट है कि अधिकांश जनप्रतिनिधि, अम्बेडकर ग्राम

विकास योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों के अनुमोदन सम्बन्धी वास्तविक प्रावधानों से अनभिज्ञ हैं। बहुसंख्यक जनप्रतिनिधि स्वीकारते हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीण विकास एवं लाभार्थी उन्नति के लिए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है यद्यपि वे लाभार्थी पहचान एवं चयन की प्रक्रिया में प्रभावी भूमिका सम्बन्धी प्रावधानों से अनभिज्ञ हैं।

अम्बेडकर ग्रामों में लाभार्थीपरक कार्यक्रमों की स्थिति और उसके लाभों के सन्दर्भ में;बहुसंख्यक जनप्रतिनिधि स्वीकार करते हैं कि इन्दिरा आवास के लाभार्थियों का चयन यद्यपि इन्दिरा आवास प्रतीक्षा सूची से हुआ है तथापि 'समर्थकों का चयन' अब भी लाभार्थी चयन प्रक्रिया में एक नकारात्मक तत्व के रूप में विद्यमान है। सभी जनप्रतिनिधि मानते हैं कि इन्दिरा आवास प्रतीक्षा सूची को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया है। बहुसंख्यक जनप्रतिनिधियों के ग्रामों में स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ है तथा इन समूहों को रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया गया है। इस सन्दर्भ में, अधिसंख्य जनप्रतिनिधि यह भी स्वीकार करते हैं कि गठित समूहों के रोजगार का अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा नहीं किया गया। सर्वेक्षित ग्रामों के शत–प्रतिशत शौचालय मानकों की दृष्टि से पूर्ण हैं; बहुसंख्यक सर्वेक्षित ग्रामों के विद्यालयों में बालक–बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक शौचालय हैं किन्तु एक नकारात्मक तत्व के रूप में, सभी पात्र परिवारों को अब भी शौचालय निर्माण कार्यक्रम का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी क्रम में, बहुसंख्यक जनप्रतिनिधियों के अनुसार यद्यपि सभी पात्रों को वृद्धावस्था एवं विधवा पेन्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है तथापि निर्वाचन के फलस्वरूप प्रधान पद तथा विधवा पेन्शन सम्बन्धी शासकीय नियमावली में होने वाले परिवर्तन, पेन्शन के सतत् वितरण में प्रमुख बाधक तत्व हैं।

अम्बेडकर ग्रामों में बुनियादी अवसंरचना के निर्माण हेतु क्रियान्वित सामुदायिक कार्यक्रमों की स्थिति और इसके लाभों सम्बन्धी तथ्यों से स्पष्ट है कि अधिसंख्य जनप्रतिनिधि इस तथ्य से सहमत हैं कि ग्राम सम्पर्क मार्ग ने ग्रामवासियों के जीवन में गुणात्मक प्रभाव डाला है।ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के सन्दर्भ में बहुसंख्यक जनप्रतिनिधियों के ग्रामों में सभी चयनित ग्रामवासियों ने अपने घरों में बिजली का कनेक्शन करवाया है तथा इससे उनके दैनिक कार्यों में सरलता हुई है। इसके अतिरिक्त, ग्रामवासियों को नाली/खड़न्जा निर्माण का भी व्यापक लाभ प्राप्त हो रहा है। यह आवागमन में सुविधाजनक होने के साथ ही ग्राम में स्वच्छता का वातावरण निर्मित करने एवं संक्रामक बीमारियों से बचाव करने में भी सहायक है।

गांवों की बुनियादी अवसंरचना में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था का प्रमुख स्थान है। बहुसंख्यक जनप्रतिनिधि मानते हैं कि ग्राम में हैण्डपम्पों की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है। सभी सर्वेक्षित ग्रामों में हैण्डपम्प के स्थान पर जल–निकासी की समुचित व्यवस्था है तथा ग्रामवासियों को हैण्डपम्प से स्वच्छ पेयजल की प्राप्ति हो रही है। सभी जनप्रतिनिधि हैण्डपम्प को पानी के परम्परागत स्रोतों की अपेक्षा सुविधाजनक मानते हैं।

अम्बेडकर ग्राम विकास योजनान्तर्गत पंचायत संस्थाओं की भूमिका के मूल्यांकन सम्बन्धी तथ्यों से स्पष्ट है कि अधिकांश जनप्रतिनिधि अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत पंचायतों की भूमिका से सन्तुष्ट हैं यद्यपि योजनाओं में सरकारी हस्तक्षेप उनकी असन्तुष्टि का एक बड़ा कारण है।

अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के समग्र मूल्यांकन के तथ्यों से स्पष्ट है कि बहुसंख्यक जनप्रतिनिधि अम्बेडकर ग्राम विकास योजना से वित्तीय लाभ की आशा करते हैं। इसके अतिरिक्त, विकासपरक योजनाओं के लाभों तक सर्वसमाज की पहुंच, अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ा मुद्दा है और बहुसंख्यक जनप्रतिनिधि अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के समावेशी लाभ की अपेक्षा रखते हैं।

सामान्य ग्रामवासियों की अभिरूचि, सजगता एवं योजना पर प्रतिक्रिया के अन्तर्गत राजनीतिक जागरूकता एवं सहभागिता के तथ्यों से स्पष्ट है कि बहुसंख्यक ग्रामवासियों को ग्राम सभा के बारे में सामान्य जानकारी है। अधिकांश ग्रामवासियों के अनुसार, ग्राम सभा की नियमित बैठक होती है तथा इस बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है। अधिसंख्य ग्रामवासी सूचना के अभाव के कारण ग्राम सभा की बैठक में भाग नहीं लेते हैं यद्यपि ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने वाले अन्य सभी ग्रामवासी, बैठक में ग्राम की समस्याओं पर विचार–विमर्श करते हैं।

बहुसंख्यक ग्रामवासियों को अम्बेडकर ग्राम विकास योजना सम्बन्धी सामान्य जानकारी है। अधिकांश ग्रामवासियों की जानकारी का स्रोत ग्राम प्रधान है। बहुसंख्यक ग्रामवासी, जानकारी एवं सूचना के अभाव जैसे कारकों के फलस्वरूप विकास कार्यक्रमों के अवलोकन की प्रक्रिया से विलग रहते हैं। दूसरे शब्दों में, विकासपरक कार्यक्रमों के सन्दर्भ में ग्राम सभा की सहभागिता दर अत्यन्त निम्न है।

चित्र संख्याः 02
अम्बेडकर ग्राम के कार्यक्रमों की स्थिति प्रदर्शित करता सूचना पट्ट

अम्बेडकर ग्रामों में क्रियान्वित सामुदायिक कार्यक्रमों की स्थिति और इसके लाभों सम्बन्धी तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम सम्पर्क मार्ग ने

 Volume - 6 | Issue - 11 | December - 2016

ग्रामवासियों के जीवन में गुणात्मक प्रभाव डाला है। अधिसंख्य ग्रामवासियों के अभिमत में सम्पर्क मार्ग, बीमारी की दशा में अस्पताल पहुंचने में सहायक है। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की दशा यद्यपि उतनी अच्छी नहीं है तथा बहुसंख्यक ग्रामवासियों ने बिजली का कनेक्शन नहीं करवाया है तथापि जो ग्रामवासी विद्युतीकरण कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं उन्हे इससे दैनिक कार्यों में सहायता प्राप्त हुई है। अधिसंख्य ग्रामवासी नाली/खड़न्जा निर्माण को स्वच्छता की वृद्धि में सहायक मानते हैं। अधिकांश ग्रामवासियों के बच्चे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसी क्रम में, अम्बेडकर ग्राम विकास योजना में ग्राम चयन के पश्चात अब बहुसंख्यक ग्रामवासियों को स्वच्छ पेयजल सरलता से प्राप्त हो रहा है। बहुसंख्यक ग्रामवासी इण्डिया मार्का–प्हैण्डपम्प को जल के परम्परागत स्रोतों की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक मानते हैं।

अम्बेडकर ग्रामों में लाभार्थीपरक कार्यक्रमों की स्थिति और उसके लाभों के सन्दर्भ में; बहुसंख्यक ग्रामवासी मानते हैं कि अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के क्रियान्वयन के पश्चात ग्राम में पक्के मकानों की संख्या में अभिवृद्धि हुई है। अधिसंख्य ग्रामवासी स्वीकार करते हैं कि अम्बेडकर ग्राम विकास योजना में चयनित होने के बाद ग्राम में स्वच्छता के वातावरण में वृद्धि एवं फलस्वरूप गन्दगी के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियों; जैसे – हैजा, मलेरिया, खसरा, जुकाम, तपेदिक, खुजली आदि में कमी आयी है।बहुसंख्यक ग्रामवासी अम्बेडकर ग्राम विकास योजना को ग्राम में रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा रोजगार हेतु शहर जाने की प्रवृत्ति में बदलाव लाने में सहायक मानते हैं। अधिकांश ग्रामवासी स्वीकार करते हैं कि अम्बेडकर ग्राम विकास योजना में चयनित होने के बाद ग्राम की सिंचाई सुविधा में सुधार हुआ है तथा फलस्वरूप फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है।

अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के समग्र लाभों के मूल्यांकन के तथ्यों से स्पष्ट है कि अधिकांश ग्रामवासी मानते हैं कि अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के लाभों का वितरण यद्यपि सम्पूर्ण ग्राम में हुआ है तथापि सत्ता समर्थक एवं जाति विशेष के लोग इससे अधिक लाभान्वित हुए हैं। अम्बेडकर ग्राम विकास योजना से वित्तीय लाभ की आकांक्षा, सर्वाधिक ग्रामवासियों की मूल प्राथमिकता है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार एवं आवश्यक भवनों के निर्माण और मरम्मत का विषय, बहुसंख्यकग्रामवासियों के लिए मूलभूत महत्व का है जिसे वे योजना में शामिल करना चाहते हैं।

अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के सन्दर्भ में, ग्रामवासियों के सुझाव सम्बन्धी तथ्यों से परिलक्षित होता है कि विकासपरक योजनाओं के लाभों तक सर्वसमाज की पहुंच अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ा मुद्दा है और बहुसंख्यक ग्रामवासी अम्बेडकर ग्राम विकास योजना से समावेशी लाभ की अपेक्षा रखते हैं। संक्षेप में, बहुसंख्यक ग्रामवासी, अम्बेडकर ग्राम विकास योजनाके लाभों से सन्तुष्ट अथवा पूर्णतया सन्तुष्ट हैं जो अम्बेडकर ग्राम विकास योजना की अपने उद्देश्यों में सफलता का द्योतक है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

निष्कर्षतः उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास, राजनीतिक सहभागिता और अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्सम्बन्धों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि योजना के फलस्वरूप ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। इसने एक ओर चयनित ग्रामों में बुनियादी अवसंरचनात्मक ढ़ांचे का निर्माण किया है तो दूसरी ओर इससे ग्रामीणों को विकासोन्मुखी और नवाचारयुक्त दृष्टिकोण बनाने में सहायता भी प्राप्त हुई है। अम्बेडकर ग्राम विकास योजना द्वारा ग्रामीण जीवन के विविध पक्षों यथा– सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक–में स्पष्टतः सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। पारम्परिक भारतीय लोकाचार और ग्रामीण जीवन में व्याप्त जातिगत वर्जनाएं कमजोर हो रही हैं तथा विशेषतः अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजार्थिक स्थिति समुन्नत हुई है। अन्य शब्दों में, ग्रामीणों को योजना का समग्र लाभ प्राप्त हुआ है।

ग्रामों में निर्मित बुनियादी अवसंरचना का लाभ प्रायः समाज के सभी वर्गों को प्राप्त हो रहा है। सुदूर के ग्रामीण क्षेत्र; सम्पर्क मार्गों द्वारा; निकटवर्ती नगरीय क्षेत्रों से जुड़े हैं फलतः शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा एवं रोजगार आदि के लिए शहरी क्षेत्रों में आवागमन सरल हुआ है। अधिकांश सर्वेक्षित ग्रामों के प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन दर शत–प्रतिशत पायी गयी। योजना के फलस्वरूप प्रायः सभी सर्वेक्षित क्षेत्रों में विद्युत एवं स्वच्छ पेयजल की सुविधा का अभूतपूर्व विकास हुआ है जिसका एक प्रत्यक्ष परिणाम ग्रामीणों की आधुनिकीकृत जीवनशैली के रूप में दृष्टिगोचर होता है।

सर्वेक्षित अम्बेडकर ग्रामों में राजनीतिक सहभागिता का परिदृश्य यद्यपि अपेक्षाकृत अधिक सकारात्मक नहीं है। उत्तर प्रदेश में नये पंचायत राज विधान की स्थापना के बाद यद्यपि पंचायत संस्थाओं से यह अपेक्षा की गयी कि वे विकासपरक कार्यक्रमों के निष्पादन में उत्तरदायित्व का परिचय देते हुए विकासात्मक प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करेंगी तथापि तृणमूल स्तर पर इन संस्थाओं का परिणाम अत्यन्त निराशाजनक है। अधिसंख्य सर्वेक्षित ग्रामों में ग्राम सभा की खुली बैठक नहीं होती है। प्रायः सभी पंचायतों में पंचायत भवन जैसी मूलभूत महत्व की संरचना का अभाव है। विकासात्मक कार्यों के अनुमोदन, लाभार्थी पहचान/चयन में अपनी भूमिका एवं शक्तियों से ग्रामसभाएं पूर्णतः अनभिज्ञ हैं फलस्वरूप पंचायत व्यवस्था विकेन्द्रीकरण और स्थानीय स्वशासन के अपने मूलभूत उद्देश्यों को प्राप्त करने में अक्षम सिद्ध हो रही हैं। इस सन्दर्भ में, अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि ग्रामीणों की अशिक्षा तथा पंचायत प्रतिनिधियों एवं सरकारी कर्मचारियों के बीच विकसित होता गठजोड़; योजना के लाभों के समान आवंटन में एक प्रमुख बाधक बना हुआ है।अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के फलस्वरूप,उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं राजनीतिक सहभागिता की वास्तविक सफलता की सीमाओं को दूर करने सम्बन्धी सुझाव; जो अध्ययन से उभरकर आए हैं; निम्न हैं–

1.योजना से मध्यवर्ती बिचौलियों को समाप्त करते हुए सरकार द्वारा लाभार्थी को सीधे लाभान्वित किया जाए;

2.लाभार्थियों एवं ग्राम सभा सदस्यों को शिक्षित बनाते हुए उन्हे योजना के प्रावधानों की पूर्ण जानकारी प्रदान की जाए;

3.योजना में प्रत्यक्षतः रोजगारपरक कार्यक्रमों का अभाव है अतः इसमें अधिकाधिक रोजगारपरक कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाए;

4.योजना में होने वाले भ्रष्टाचार को कठोरता के साथ नियन्त्रित किया जाए; एवं

5.योजना से प्राप्त होने वाले लाभों का समावेशी वितरण सुनिश्चित किया जाए।

संक्षेप में, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं राजनीतिक सहभागिता के सन्दर्भ में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना का महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि यह योजना अपने उद्देश्यों में सामान्यतः सफल रही है तथापि योजना क्रियान्वयन के स्तर पर व्यापक जन–सहभागिता में कमी योजना में एक नकारात्मक तत्व के रूप में विद्यमान है। अतःयह आवश्यक है कि तृणमूल स्तर पर ग्राम सभा का सशक्तीकरण किया जाए तथा योजना क्रियान्वयन में ग्रामीणों को भागीदारी के समुचित अवसर प्राप्त हों तभी इस योजना के लाभों का समावेशी आवंटन सम्भव हो सकेगा।

सन्दर्भिका

1.आलोक, वी.एन. (2011)ः 'रोल ऑफ पंचायत बॉडीज इन रूरल डेवेलेपमेन्ट सिंस 1959',थीम पेपर ऑफ द 55^{th} मेम्बर एनुअल कांफ्रेंस, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली.

2.चट्टोपाध्याय, राघवेन्द्र एवं डूफ्लो ईशर (2004)ः 'इम्पैक्ट ऑफ रिजर्वेशन इन पंचायती राजः एविडेन्स फ्रॉम अ नेशनवाइड रेण्डमाइज्ड एक्सपरिमेन्ट', इकॉनॉमिक एण्ड पॉलिटिकलवीकली,फरवरी 2004.

3.दत्त, सुजीत कुमार एवं घोष, दिलीप कुमार (2006)ः इन्स्टीट्यूशन्स फॉर डेवेलेपमेन्टः द केस ऑफ पंचायत्स, मित्तल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली.

4.द्रेज, ज्यां (1990): 'पावर्टी इन इण्डिया एण्ड द आईआरडीपी डेल्यूशन', इकॉनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, 29 सितम्बर 1990.
5.गायथ्री, वी. (2005): 'जेन्डर, पॉवर्टी एण्ड इम्प्लाइमेन्ट इन इण्डिया', जर्नल ऑफ सोशल एण्ड इकॉनॉमिक डेवेलेपमेन्ट, जनवरी–जून 2005, 7(1).
6.जैन, डॉ. गोपाल लाल (1997): रूरल डेवेलेपमेन्ट, मंगलदीप पब्लिकेशन्स, जयपुर.
7.लॉरेन, जार्ज (1989): थ्योरीज ऑफ डेवेलेपमेन्ट, पॉलिटी प्रेस, कैम्ब्रिज.
8.लीटन, जी.के. (1996): 'पंचायत्स इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेशः नेमसेक मेम्बर्स', इकॉनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, सितम्बर 28.
9.मैथ्यू, जार्ज (2002): 'एनीमीज ऑफ पंचायत राज', द हिन्दू, जनवरी 11, 2002.
10.मिश्र, एस.एन., मिश्रा, श्वेता एवं पाल, चैताली (2000): डिसेन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग एण्ड पंचायती राज, मित्तल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली.
11.नेशनल लेवल मॉनीटरिंग (2012): रेगुलर मॉनीटरिंग ऑफ रूरल डेवेलपमेन्ट प्रोग्राम्सः उत्तर प्रदेश, फेज–1, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवेलपमेन्ट, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली.
12.ओमेन, एम.ए. (2000): 'इलेवन्थ फाइनेन्स कमीशन ट्रांसफर सिस्टम एण्ड द लोकल बॉडीजः अ क्रिटिक',इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्स, नई दिल्ली.
13.राम, डी. सुन्दर (सम्पा.) (2007): पंचायती राज रिफॉर्मस इन इण्डियाः पॉवर टू पीपुलएट द ग्रासरूट्स, कनिष्का पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली.
14.श्रीनिवास, एम.एन. (1979): 'रिफलेक्शन ऑन रूरल डेवेलेपमेन्ट', कुरूक्षेत्र, जून 1979, 27(18).
15.श्रीवास्तव, रवि एस. (2002): एन्टी पॉवर्टी प्रोग्राम्स इन उत्तर प्रदेशः एन इवेल्यूशन,इन्स्टीट्यूट ऑफ ह्यूमेन डेवेलपमेन्ट, नई दिल्ली.
16.सिंह, एस.पी. (2003): प्लानिंग एण्ड मेनेजमेन्ट फॉर रूरल डेवेलेपमेन्ट, मित्तल पब्लिकेशन,नई दिल्ली.
17.सिसोदिया, यतीन्द्र सिंह (2010): रूरल डेवेलपमेन्टः मैक्रो–माइक्रो रिलेशन्स, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर.
18.सीथाराम, मुक्काविल्ली (1990): सिटीजन पार्टिशिपेशन इन रूरल डेवेलेपमेन्ट, मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली.
19.तिवारी, नूपुर (2009): 'रूरल डेवेलेपमेंट थ्रू इन्टिग्रेटेड प्लानिंग एण्ड इम्प्लीमेंटेशन द पंचायती राज लेवल' द इण्डियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जनवरी 2009, 35(1).
20.तिवारी, श्री गोपाल (1949): 'पंचायत राज इन यूनाइटेड प्रोविन्स', इकॉनॉमिक वीकली, अप्रैल 30.
21.उत्तर प्रदेश ह्यूमेन डेवेलेपमेन्ट रिपोर्ट (2008): प्लानिंग डिपार्टमेन्ट, गवर्नमेन्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ
22.उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961, (2014): इलाहाबाद लॉ इम्पोरियम, इलाहाबाद.
23.उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947, (2013): मानव लॉ हाऊस, इलाहाबाद.
24.झा, शिखा (2002): 'स्ट्रेन्थिंग लोकल गवर्नमेन्ट्स रूरल फिस्कल डिसेन्ट्रलाइजेशन इन इण्डिया', इकॉनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, जून 2002

डॉ. पुष्पेन्द्र कुमार मिश्र
अतिथि व्याख्याता , राजनीति विज्ञान विभाग ,शासकीय कन्या महाविद्यालय, भिण्ड (म.प्र.)

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.org